



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239291
CG-DL-E-03102022-239291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]
No. 235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

मामला संख्या: एडी (ओआई) -03/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मैट्रोनिडाजोल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/3/2022-डीजीटीआर.—आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक” या “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे ‘अधिनियम’ भी कहा गया है) समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “एडी नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मैट्रोनिडाजोल” (जिसे आगे ‘संबद्ध वस्तु’ या ‘विचाराधीन उत्पाद’ (पीयूसी) भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

- आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मैट्रोनिडाजोल' है।

4. उत्पादन प्रक्रिया: उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित स्तरों में वर्णित है:

- क. एक मध्यवर्ती यौगिक 2-मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाजोल को फॉर्मिक एसिड [85%] और सल्फुरिक एसिड [98%] की उपस्थिति में एथिलीन ऑक्साइड के साथ कन्डेनसेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है।
- ख. मैथानोल के साथ एक इस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया की जाती है जिससे मिथाइल फार्मेट [मिथाइल मैथेनोट बनता है। यह इस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया अनरिएक्टेड 2-एमएनआई को अलग करने के लिए लिक्वर अमोनिया [24%] की दर से मास प्रेसिपिटेटिड किया जाता है। यह अलग किया हुआ 2-एमएनआई सुखाया और प्रक्रिया में पुनः प्रयुक्त किया जाता है।
- ग. वाशिंग मंदर लिक्वर को अमोनियम सल्फेट और मिक्स ग्लाइकोल निकालने के लिए बहु-प्रभावी इवेपोरेटर में अंतरित किया जाता है।
- घ. फिल्टर्ड केक को पृथक्करण के लिए अंतरित किया जाता है, जिसमें कास्टिक सोडा फ्लेक और आइस-मिक्स कच्चे मैट्रोनिडाजोल को अलग करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
- ड. गीले कच्चे मैट्रोनिडाजोल को चारकोल की मदद से डिक्लोराइज्ड किया जाता है और मैट्रोनिडाजोल को अलग करने के लिए आगे क्रिस्टलाइज्ड किया जाता है। इस पृथक मैट्रोनिडाजोल को छाना जाता है। इस गीली सामग्री को ड्रायर में सुखाया जाता है और उतारा तथा शुष्क शुद्ध मैट्रोनिडाजोल के रूप में लेबल किया जाता है।

5. **प्रयोग:** इस उत्पाद का प्रयोग बैक्टेरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के ईलाज में होता है। इसका प्रयोग एमिबाइसिस [एमिबिक डिस्पेंटरी], ट्राइकोमोनियासिस [एसटीडी], गायरडायसिस [बीवर ज्वर], जिंजिवाइटिस [मसूड़ों में जलन], एक्यूट अल्सरेटिव, एनकरोबिक वेगिनोसिस [योनि में जलन] जो ट्रैक्स में पाए जाने वाले प्राकृतिक बैक्टीरिया में अधिक वृद्धि के कारण होते हैं, के मामलों में किया जाता है।

6. **टैरिफ वर्गीकरण:** विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 293329 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 2933 29 20 के अन्तर्गत आयातित किया गया है। यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. जांच के लिए पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय से 15 दिनों के भीतर पीयूसी संबंधी अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन.गण. से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु को एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अन्तर्गत 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. यह आवेदन चीन जन.गण. [जिसे एतद्पश्चात् 'संबद्ध देश' कहा गया है] से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में किया गया है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक है और क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल 2019 – 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2021-31 मार्च 2022 (पीओआई) की है।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह आवेदन आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो भारत में समान वस्तु का विनिर्माता है। आवेदक ने बताया है कि एक अन्य उत्पादक भी है अर्थात् मैसर्स यूनिकेम लैबोरेट्रीज जो भारत में समान वस्तु का उत्पादन करता है। तथापि, आवेदक के अनुसार मैसर्स यूनिकेम लैबोरेट्रीज भारत के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री नहीं करता है और संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करता है।
12. आवेदक ने पीओआई के दौरान पीयूसी का आयात किया है जो भारत में समान वस्तु के उसके उत्पादन की तुलना में मामूली है। इसके अलावा, आवेदक ने दावा किया है कि ऐसे आयात अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अन्तर्गत किए गए हैं और आयात केवल उनके निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए हैं।
13. यह नोट किया गया है कि आवेदक के व्यापार की प्रकृति एक विनिर्माता की है और वह व्यापारी में नहीं बदली है और इसलिए, आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 5 में यथानिर्धारित स्थिति के लिए मापदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए, यदि चीन के उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित हैं और एडीडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देते हैं, ऐसा न होने पर चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
15. आवेदक ने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों का साधन इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सामान्य मूल्य को संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर परिकलित किया गया है। परिकलित सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत आवश्यक समायोजनों [मालभाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अन्तरदेशीय भाड़ा और कमीशन] के साथ निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है।

पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है पृथग्दृष्ट्या दर्शाती है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा समग्र तथा सापेक्ष, दोनों तरह से बढ़ी है। संबद्ध आयातों से

घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जिसकी वजह से नकद लाभ, पीबीआईटी, और आरओसीई में काफी अधिक गिरावट दर्ज हुई थी। घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर में भी भारी वृद्धि हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

20. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अन्तर्गत यथावर्णित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच परिणाम अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की धिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. इच्छुक पक्ष आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

Case No. AD(OI) – 03/2022

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Metronidazole” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/3/2022-DGTR.—An application has been filed by Aarti Drugs Limited [hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the ‘domestic industry’], before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 [hereinafter referred to as the ‘Act’] as amended in 1995 and thereafter, and the Customs Tariff [Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury] Rules, 1995, as amended from time to time [hereinafter referred to as the ‘AD Rules’], for the initiation of an anti-dumping investigation and the imposition of appropriate anti-dumping duty on imports of “**metronidazole**” [hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration’ (PUC)] originating in or exported from China PR.

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from China PR and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from China PR.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is “metronidazole” originating in or exported from China PR.
4. Production process: The following stages describe the production process:
- An intermediate compound 2-Methyl 5-Nitro Imidazole undergoes condensation process with ethylene oxide in the presence of formic acid [85%] and sulphuric acid [98%].
 - An esterification reaction is carried out with methanol which generates methyl formate [methyl methanoate]. This esterification reaction is mass precipitated with liquor ammonia @ [24%] to isolate the unreacted 2-MNI. This isolated 2-MNI is dried and reused in process.
 - The washing mother liquor is transferred to a multiple-effect evaporator for recovery of ammonium sulphate and mix glycol.
 - The filtered cake is transferred for separation, wherein caustic soda flakes and ice mix is used to isolate the crude metronidazole.
 - The wet crude metronidazole is decolorized with the help of charcoal and is further crystallized to isolate metronidazole. This isolated metronidazole is filtered. The wet material is dried in the drier, unloaded and labelled as dry pure metronidazole.
5. Uses: The product is used in treatment of bacterial infections and parasitic infections. It is used in cases of amoebiasis [amoebic dysentery], trichomoniasis [STD], giardiasis [beaver fever], gingivitis [gum inflammation], acute ulcerative, anaerobic vaginosis [vaginal inflammation] caused by overgrowth of natural bacterial found in the tracts.
6. Tariff **classification**: The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 293329 of the Tariff Classification. The product under consideration is imported under the HS Code 2933 29 20. The classification is indicative only and is not binding on the scope of the investigation.
7. The parties to the investigation may provide their comments on the PUC within 15 days of the time mentioned in this initiation notification.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that there are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from China PR. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two products interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. The goods produced by the

applicant is a like article to the subject goods that is being imported from the China PR. For the purpose of the present investigation, the subject goods being produced by the domestic industry are being treated as the 'like article' to the subject goods imported from China PR in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.

C. SUBJECT COUNTRY

9. The application has been filed in respect of the dumping of the product under consideration from China PR [hereinafter referred to as the 'subject country'].

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

10. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2021 – 31st March 2022 for the determination of dumping and injury margin and the period from 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and 1st April 2021 – 31st March 2022 (POI) as the injury investigation period.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. The application has been filed by Aarti Drugs Limited which is a manufacturer of the like article in India. The applicant has submitted that there is one other manufacturer, namely, M/s Unichem Laboratories which also produces the like article in India. However, as per the applicant, M/s Unichem Laboratories does not sell the like article in the domestic market of India and exports its entire production.
12. The applicant has imported the PUC during the POI which is not significant in comparison to its production of the like article in India. Further, the applicant has claimed that such imports have been made under advance authorization scheme and that the imports have been made solely for the purpose of meeting their export obligations.
13. It is noted that the nature of the business of the applicant remains as that of a manufacturer and it has not turned into a trader, and therefore, the applicant in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 qualifies as the domestic industry and fulfils the criteria for standing as stipulated in Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal value

14. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, 1995, the normal value of producers from China PR may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR only if the responding producers from the subject country demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure I to the AD Rules, 1995, failing which, normal value for the producers from the subject country must be determined as per based on paras 7 and 8 of Annexure I to the AD Rules, 1995.
15. The applicant has claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. Accordingly, the normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin. The constructed normal value has been computed based on the cost of production of the domestic industry duly adjusted for selling, general and administrative expenses, and a reasonable profit margin.

Export Price

16. The export price for the subject goods have been computed based on the import data with due adjustments [freight, insurance, port expenses, bank charges, inland freight, and commission] to arrive at the net export price.

Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

18. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the alleged dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as relative terms. The subject imports have had an adverse impact on the

profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profit, PBIT, and ROCE have registered a very significant decline. There has also been a significant increase in the inventory levels of the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

19. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the alleged dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject injury, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence degree and effect of the alleged dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

20. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv14-dgtr@gov.in . It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv14-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

35. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority